संख्या ३।एस २-१११/७१-नि०—३१३३
बिहार सरकार
नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

३ फाल्गुन १८९३ (श०)
पटना-१५, दिनांक—————————
२२ फरवरी १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २६ मई, १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नस्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(१) नियुक्ति विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद	उच्चतर पद		प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(क) अवर उप-समाहर्त्ता (२९०—६५०)	उप-समाहर्त्ता (३२५—९८५)	....	६ वर्ष
(ख) उप-समाहर्त्ता (३२५—९८५)	उप-समाहर्त्ता, कनीय प्रवर-कोटि (४५०—१,१६०)	....	५ वर्ष
(ग) उप-समाहर्त्ता (कनीय प्रवप-कोटि)	उप-समाहर्त्ता (वरीय प्रवर-कोटि) (९००—१,४००)	....	८ वर्ष

(२) संगठन एवं पद्धति प्रशाखा :—

(सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय)

(क) निम्नवर्गीय सहायक (१३५—२३५)	उच्चवर्गीय सहायक (२००—३८०)	....	८ वर्ष
(ख) उच्चवर्गीय सहायक (२००—३८०)	प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५०)	....	१० वर्ष
(ग) प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५०)	निबंधक (३००—७५०)		जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति पाये जायँ उन्हींको वरीयता का ख्याल रखते हुए प्रोन्नति दी जाय। विहित परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाय।
(घ) आशुलिपिक श्रेणी-२ (१६०—२८०)	आशुलिपिक श्रेणी-१ (२३०—४१९)		

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(च) टंकक वर्ग-२ (१२०—२००)	टंकक वर्ग-१ (१६०—२८०)	५ वर्ष
(छ) टंकक वर्ग-१ १६०—२८०)	प्रधान टंकक (२६०—३८०)	७ वर्ष
(ज) दिनचर्यालिपिक (१०५—१५५)	प्रवर कोटि दिनचर्यालिपिक (१५०—२००)	५ वर्ष
(झ) दिनचर्यालिपिक (दोनों संवर्गों के)	निम्नवर्गीय सहायक (१३५—२३५)	निम्नवर्गीय परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाय।
(ट) आदेशपाल (७०—८०)	जमादार आदेशपाल (७५—८५)	५ वर्ष

(३) खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।

(क) उप-निदेशक (भूतत्व)	वरीय परामर्शी (भूतत्व)	८ वर्ष
(ख) वरीय भूतत्ववेत्ता	उप-निदेशक (भूतत्व)	१० वर्ष
(ग) भूतत्ववेत्ता	वरीय भूतत्ववेत्ता	८ वर्ष
(घ) सहायक खनन पदाधिकारी	जिला खनन पदाधिकारी	८ वर्ष
(च) जिला खनन पदाधिकारी ...	उप-निदेशक (खान)	१० वर्ष
(छ) उप-निदेशक (खान)	निदेशक (खान)	८ वर्ष

(४) कल्याण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।

(क) प्रेममोला सेवक ...	कल्याण निरीक्षक	५ वर्ष
(ख) कल्याण निरीक्षक	सहायक कल्याण पदाधिकारी	५ वर्ष
(ग) सहायक कल्याण पदाधिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी	८ वर्ष

(५) मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।

(क) सहायक अनुवादक श्रेणी-३ (२००—४००)	सहायक अनुवादक श्रेणी-२ (१६०—५५०)	७ वर्ष
(ख) सहायक अनुवादक श्रेणी-२ (२५०—५५०)	अनुवाद पदाधिकारी (२९०—६५०)	८ वर्ष
(ग) अनुवाद पदाधिकारी (२९०—६५०)	सहायक निदेशक ३००—७५०)	५ वर्ष
(घ) सहायक निदेशक (३००—७५०)	उप-निदेशक (४४५—९२५)	५ वर्ष
(च) उप-निदेशक (४४५—९२५)	निदेशक (४५०—१,२५०)	५ वर्ष
(छ) शब्दावली सहायक (२५०—५५०)	प्रशाखा पदाधिकारी (शब्दावली) २९०—६५०)	१० वर्ष

(६) जेनरल

अराजपत्रित पदाधिकारी (२३०—४५०) और समकक्ष (वेतनमान)।	राजपत्रित पदाधिकारी (२९०—६५०)	६ वर्ष

२. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या १६५४-नि०, दिनांक २० फरवरी, १९७२ की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त पत्र में दिए गए आदेशानुसार जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस-२—१११/७१—नि०४९९३।
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी जिला पदाधिकारी

२४ चैत, १८९४ (श०);
पटना-१५, दिनांक ———————।
६ अप्रील, १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लि आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २६ मई, १९७१ की कंडिका ४ तथा पत्र सं०३३३३-नि, दिनांक २२ फरवरी, १९७२ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ और विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(१) लोक निर्माण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद		उच्चतर पद		प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि
(क) अधिदर्शक के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए : —				
(१) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता प्राप्त कर ली है			...	५ वर्ष
(२) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता हासिल नहीं की है।			....	८ वर्ष
(ख) अभियन्ता सहायक	....	सहायक अभियन्ता	....	५ वर्ष
(ग) सहायक अभियन्ता	...	कार्यपालक अभियन्ता	....	८ वर्ष
(घ) कार्यपालक अभियन्ता	....	अधीक्षण अभियन्ता	...	७ वर्ष
(ङ) अधीक्षण अभियन्ता	....	अपरमुख्य अभियन्ता	...	५ वर्ष

(च) अपर मुख्य अभियन्ता की कोटि में ३ वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् पदाधिकारी को मुख्य अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है।

२. उद्योग एवं प्रावैधिक शिक्षा विभाग के
किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर की कोटि के पद में कम-से-कम ८ (आठ) वर्षों की सेवा आवश्यक मानी जाए।

३. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गयी है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन;
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१—८१९१-का० ।

बिहार सरकार

कर्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

सभी विभाग के सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

२३ वैशाख १८९४ (श०)
पटना-१५, दिनांक ——————————।
१३ मई १९७२

विषय :—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

(१) वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। वित्त सेवा (कनीय शाखा) (२९०—६५०)।	वित्त सेवा (वरीय शाखा) (३२५—९२५)।	६ वर्ष
२। वरीय शाखा (३२५—९२५)।	सहायक आयुक्त (४५०—१,१६०)।	६ वर्ष
३। सहायक आयुक्त (४५०- १,१६०)।	उपायुक्त (९००—१,४००)।	४ वर्ष
४। उपायुक्त (९००—१,४००)।	संयुक्त आयुक्त (१,२००—१,७००)।	४ वर्ष

(२) योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन (८५—१००)।	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (१०५—१५५)।	८ वर्ष
२। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (१०५—१५५)।	संकलक ((१२०—२२५)।	८ वर्ष
३। संकलक (१२०—२२५)।	कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (१६०—२८०)।	८ वर्ष
४। कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (१६०—२८०)।	कनीय सांख्यिकी सहायक (२००—३५०)	१० वर्ष
५। कनीय सांख्यिकी सहायक (२००—३५०)।	सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२३०—४५०)।	८ वर्ष
६। सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२३०–४५०)।	सांख्यिकी पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (२६०—६५०)।	८ वर्ष
७। सांख्यिकी पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।	सहायक निदेशक (३२५–९२५)।	८ वर्ष
८। सहायक निदेशक (३२५—९२५)।	उप-निदेशक (४५०—१,२५०)।	८ वर्ष
९। उप-निदेशक (४५०—१,२५०)।	संयुक्त निदेशक (९००—१,५००)।	६ वर्ष

(३) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। उत्पाद निरीक्षक	अधीक्षक, उत्पाद	७ वर्ष
२। उत्पाद अवर-निरीक्षक	उत्पाद निरीक्षक	१० वर्ष
३। उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	उत्पाद अवर-निरीक्षक	१० वर्ष
४। उत्पाद सिपाही	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	१० वर्ष
५। उत्पाद लिपिक	उच्चवर्गीय उत्पाद लिपिक	७ वर्ष
६। उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक	प्रधान लिपिक	७ वर्ष

नोट—अधीक्षक, उत्पाद से सहायक आयुक्त, उत्पाद तथा सहायक आयुक्त, उत्पाद से उपायुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति के लिए सेवावधि निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है।

(४) भू-संरक्षण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। निम्नवर्गीय लिपिक (१०५—१५५)।	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२००)।	८ वर्ष
२। उच्चवर्गीय लिपिक (१५० –२००)।	प्रधान लिपिक (२०० –३००)।	१० वर्ष
३। कनीय सर्वेयर	वरीय सर्वेयर (१६० –२८०)	५ वर्ष

नोट—लिपिक के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित अन्य काइटेरिया जो "बिहार बोर्ड्स मिसलेनियस रूल्स" तथा अन्य इससे सम्बन्धित नियम का अनुसरण करते हुए ही विचार किया जायगा।

(५) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। अंकेक्षक १३०—२२५)।	वरीय अंकेक्षक वर्ग २ (२०० –३५०)।	
२। वरीय अंकेक्षक वर्ग २ (२००—३५०)।	वरीय अंकेक्षक वर्ग १ (२३०– ४५०)।	६ वर्ष
३। वरीय अंकेक्षक वर्ग १ (२३०—४५०)।	सहायक लेखा नियंत्रक (२६०—६५०)।	
४। सहायक लेखा नियंत्रक (२६० –६५०)।	उप-लेखा नियंत्रक (३२५—८२५)।	८ वर्ष

२। इस संबंध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१-का—१०७६५

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
उप-सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक १२ जून १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन)—कालावधि का निर्धारण।

प्रसंग—(१) इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७-नि०, दिनांक २९ मई १९७१।
(२) कालावधि निर्धारण संबंधी आदेश—
संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी १९७२।
संख्या ५९९३-नि०, दिनांक ६ अप्रील १९७२।
संख्या ८७९७-नि०, दिनांक १३ मई १९७२।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ और विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

१. सहकारिता विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

क्रम सं०	पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१	पर्यवेक्षक, सहयोग समिति (१०५—१५५ रु०)	निरीक्षक, सहयोग समितियां (१६०—२८० रु०)।	८ वर्ष
२	निरीक्षक, स० स० (१६०—२८०)	सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, (२९०—६५०)।	८ वर्ष
३	सहायक निबंधक, स० स० (२९०—६५० रु०)	जिला सहकारिता पदाधिकारी (३२५—९८५ रु०)।	६ वर्ष
४	जिला सहकारिता पदाधिकारी (३२५—९८५ रु०)।	उप-निबंधक, स० स० (४५०—१,१६० रु०)	५ वर्ष
५	उप-निबंधक, स० स०(४५०—१,१६०)।	संयुक्त निबंधक, स० स० (९००—१,४०० रु०)।	६ वर्ष

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
६	स्थानीय अंकेक्षक, सहयोग समितियां, (११५—२२५ रु०)	सहायक अंकेक्षक, स० स० (२००—४०० रु०) ।	८ वर्ष
७	सहायक अंकेक्षक, स०स० (२००—४००रु०)	वरीय अंकेक्षक, स० स० (२३०—४५० रु०) ।	६ वर्ष
८	वरीय अंकेक्षक, स० स० (२३०—४५०)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स० स० (२९०—६५० रु०) ।	८ वर्ष
९	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स० स० (२९०—६५०) ।	उप-मुख्य अंकेक्षक (४५०–१,१९० रु०) ।	६ वर्ष

२. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
१	श्रम पदाधिकारी	.... श्रमाधीक्षक	६ वर्ष
२	श्रम अधीक्षक	.... सहायक श्रमायुक्त	६ वर्ष
३	सहायक श्रमायुक्त	.... उप-श्रमायुक्त	४ वर्ष
४	अधीक्षक	.... क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी ...	७ वर्ष
५	क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	प्रवर कोटि के प्राचार्य	३ वर्ष
६	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्रवर कोटि के प्राचार्य	१० वर्ष

३. निबंधन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।

क्रम संख्या ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
१	निम्नवर्गीय लिपिक (१०५—१५५ रु०)	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२०० रु०)	१० वर्ष
२	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२०० रु०) .	प्रवर कोटि लिपिक (२०० -३००रु०)	५ वर्ष

(अगर इससे कम अवधि में गैर हरिजन/गैर-आदिवासी व्यक्ति की प्रोन्नति होती है तो हरिजनों / आदिवासियों की भी प्रोन्नति हो सकती है ।)

(४) शिक्षा विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

क्रम सं०	पद		उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१	अवर-शिक्षा सेवा निम्न श्रेणी	....	अवर-शिक्षा सेवा उच्च श्रेणी	१० वर्ष
२	अवर-शिक्षा सेवा उच्च श्रेणी	....	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग २	८ वर्ष
३	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग २	....	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग १	८ वर्ष
४	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग १	...	बिहार शिक्षा सेवा १ के प्रवर कोटि	(विचाराधीन)

(५) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

क्रम सं०	पद		उच्चतर पद		प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि
१	सहायक आयुक्त, उत्पाद	....	उपायुक्त, उत्पाद	....	(विचाराधीन)
२	अधीक्षक, उत्पाद	....	सहायक आयुक्त उत्पाद	....	
३	उत्पाद निरीक्षक	....	अधीक्षक, उत्पाद	...	७ वर्ष
४	उत्पाद अवर-निरीक्षक	....	उत्पाद निरीक्षक	...	१० वर्ष
५	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	...	उत्पाद अवर-निरीक्षक	...	१० वर्ष
६	उत्पाद सिपाही	...	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	....	१० वर्ष
७	उत्पाद लिपिक	...	उच्चवर्गीय उत्पाद लिपिक	...	७ वर्ष
८	उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक	....	प्रधान लिपिक	....	७ वर्ष

२. इस सम्बंध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक इस विभाग को नहीं भेजी गयी है; अविलम्ब भेजने की कृपा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है सरकारी आदेश है कि जबतक अवधि निर्धारित नहीं होती है प्रोन्नति का प्रश्न स्थगित रखा जाय।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एम० २-१११/७१का०—११११६

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

२६ ज्येष्ठ १८९४ (श०)
पटना-१५, दिनांक—————
१६ जून १९७२

विषय – सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण—कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३३३३- दिनांक २२ फरवरी १९७२ की कंडिका (१) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा के सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि।
(क) अवर-उप समाहर्ता (२९०—६५० रु०)	... उप-समाहर्ता (३२५—९८५ रु०)	६ वर्ष
(ख) उप-समाहर्ता (३२५ – ९८५ रु०)	.... अनुमंडल पदाधिकारी की सूची	५ वर्ष
(ग) उप-समाहर्ता (३२५—९८५ रु०)	... अपर समाहर्ता (९००- १,४०० रु०)	८ वर्ष

बशर्ते उनका नाम कनीय
प्रवर कोटि की सूची में है

२. अनुरोध है कि इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को कृपया करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ३/एस २-१११/७१—१९१०८-का०
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री शिवनाथ सँगल,
सरकार के सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव
सरकार के सभी सचिव
अवर सचिव/सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–१५, दिनांक १२ अक्तूबर १९७२

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण

प्रसंग—१— (क) इस विभाग का संकल्प संख्या १२७७-नि० दिनांक २९ मई १९७१
(ख) इस विभाग का संकल्प संख्या १४४२५-नि०, दिनांक २३ अगस्त १९७१
२. कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आदेश—
(क) संख्या ३३२३-नि०, दिनांक २२ फरवरी १९७२
(ख) संख्या ५९९३-नि०, दिनांक ६ अप्रील १९७२
(ग) संख्या ८७९७-नि०, दिनांक १३ मई १९७२
(घ) संख्या १०७९५-नि०, दिनांक १२ जून १९७२
(ङ) संख्या ११११६-का०, दिनांक १६ जून १९७२

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ विभागों में ऐसी शंका उत्पन्न हुई है कि उपर्युक्त आदेशों में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ निर्धारित सेवा अवधि केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर ही लागू है अथवा सभी गैर-अनुसूचित जातियों पर भी।

२. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आदेश सभी पर एक समान लागू होता है लेकिन जब ऐसी स्थिति आए कि निर्धारित कालावधि से कम अवधि में ही रिक्तियां उपलब्ध हों और किसी गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जन-जाति को कम अवधि में हीप्रोन्नति देकर रिक्ति को भरना पड़े तो वैसी स्थिति में अनुसूचित जाति, जन-जाति के केस पर भी समरूप से विचार किया जायगा। दृष्टांत के लिए सचिवालय के निम्नवर्गीय सहायक को उच्चवर्गीय सहायक के कुछ पद पर प्रोन्नति देने के लिये ८ वर्षों की सेवा अवधि निर्धारित की गयी है। उच्चवर्गीय सहायक के कुछ पद रिक्त हैं और एक गैर-अनुसूचित जाति गैर-अनुसूचित जन-जाति निम्नवर्गीय सहायक-उच्चवर्गीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा सेवा अभिलेख के आधार पर प्रोन्नति के योग्य पाये जाते हैं, लेकिन निम्नवर्गीय सहायक के रूप में उनकी सेवा अवधि निर्धारित सेवा अवधि से कम है। ऐसी स्थिति में उसे निम्नवर्गीय सहायक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है। लेकिन उसी अवधि के प्रोन्नति पाने योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति सहायक के केस पर भी समरूप से विचार होगा।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को इसकी जानकारी कर दी जाय।

४. यह भी अनुरोध करना है कि प्रत्येक विभाग अपने विभाग की भर्त्ती नियमावली में इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन कर लें।

विश्वासभाजन,
शिवनाथ सँगल
सरकार के सचिव।

पत्र सं० ३।एस २-१११/७१-का०—२२३३४।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष,

पटना-१५, दिनांक २३ दिसम्बर १९७२।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी, १९७२ की कंडिका (२) (ग) में आंशिक संशोधन एवं परिवर्त्तन करते हुए मुझे कहना है कि सचिवालय स्थित निबन्धक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि।
(ग) प्रशाखा पदाधिकारी .. (२९०—६५० रु०)	निबन्धक .. (३००—७५० रु०)	प्रोन्नति में सुयोग्य व्यक्ति की वरीयता का ख्याल रखते हुए प्रोन्नति दी जाए, किन्तु अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उम्मीदवार को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कम से कम ५ वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।

२। अनुरोध है कि इसकी जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारियों को कृपया करा दी जाए।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद
सरकार के उप-सचिव।

संख्या ३।एस-२-१०६०।७२—१८३०३-का०।

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में

सभी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव
—।
सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक १७ अग्रहण, १८९८ (श०) । ८ दिसंबर, १९७३।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण पुनरीक्षित कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं० ९२३७-नि०, दिनांक २९ मई, १९७१ (प्रति संलग्न) की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उसके ठीक निम्नस्तर कोटि के पद में कम-से-कम कितने वर्षों की सेवा आवश्यक समझी जाय, इस सम्बन्ध में कुछ विभागों की अनुशंसा पर कालावधि का निर्धारण किया गया, अभी तक अनेक विभागों से अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

२. अवधि निर्धारण का अभिप्राय है कि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाए जिसका उत्तरदायित्व संभालने में वह असमर्थ हो। इस सम्बन्ध में जितने आदेश निर्गत हुए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि किसी विभाग में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि बहुत लम्बी है, तथा कई विभागों ने जो अवधि निर्धारित की है उसके लिए पूर्ण औचित्य नहीं है। अतः अवधि निर्धारण संबंधी आदेश में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए फिर से विचार करना आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उचित लाभ मिल सके।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में पुनरीक्षित अनुशंसा कार्मिक विभाग को एक महीने के अन्दर अवश्य भेज दें। पदाधिकारियों के नाम के साथ वर्तमान वेतनमान भी अंकित कर दें।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार।

संख्या ३/एस २-१११/७१—२०७०१-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २४ आश्विन १८९६ (श०) / १६ अक्तूबर १९७४

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण (Reservation) कालावधि का निर्धारण

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१—८७९७-का०, दिनांक १३ मई १९७२ की कंडिका (२) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१. प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन.... (१९०—२४८रु०)	.... कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक ... (२२०—३१५ रु०)	.... ४ वर्ष
२. कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (२२०—३१५ रु०)	.... संकलक	.... ४ वर्ष
३. संकलक/कोटर .... (२४०—३९६ रु०)	.... कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२९६—४६० रु०)	.... ४ वर्ष
४. कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२९६—४६० रु०)	.... वरीय सांख्यिकी सहायक .... (३३५—५५५ रु०)	.... ४ वर्ष
५. वरीय सांख्यिकी सहायक (३३५—५५५ रु०)	.... सांख्यिकी पर्यवेक्षक .... (४००—६६० रु०)	.... ४ वर्ष
६. सांख्यिकी पर्यवेक्षक .... (४००—६६० रु०)	.... जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	.... ४ वर्ष
७. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सांख्यिकी पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	सहायक निदेशक .... (५१०—१,१५५ रु०)	.... ५ वर्ष
८. सहायक निदेशक .... (५१०—१,१५५ रु०)	.... उप-निदेशक .... (६२०—१,४१५ रु०)	.... ५ वर्ष
९. उप-निदेशक .... (६२०—१,४१५ रु०)	... संयुक्त निदेशक .... (१,०६०—१,६८० रु०)	.... ५ वर्ष

विश्वासभाजन,
कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।